

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 33/2020

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुखाराम पुत्र मेघाराम के वारीसान  
1/1 चौलाराम पुत्र सुखाराम  
1/2 बाबूराम पुत्र सुखाराम  
1/3 आईदानराम पुत्र सुखाराम  
1/4 झीमों पुत्री सुखाराम जाति  
जाट निवासी जैरूपाणियों का  
तला जोगासर तहसील सिणधरी

- 1 उमा पुत्र मेघाजाट निवासी जैरूपाणियों  
का तला होडू तहसील सिणधरी
2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा  
ग्रामीण बैंक शाखा होडू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार  
सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
उपस्थिति—


1. श्री राजीवन विशनाई अधिवक्ता वादीगण की ओर से अनुपस्थित।
2. प्रतिवादीगण समस्त एकतरफा।

## निर्णय

दिनांक— 20.12.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत मौजा जैरूपाणियों को तला के खसरा संख्या 610 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म व खसरा संख्या 611 रकबा 8.5916 हैक्टेयर तथा मौजा जोगासर के खसरा संख्या 604 रकबा 0.9870 हैक्टेयर तहसील सिणधरी भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 14.09.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया। जिसे उपस्थित पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम जैरूपाणियों को तला व जोगासर तहसील सिणधरी की भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।



क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम का नाम	खसरा नं.	विस्तार (अ.फु.)	कालि बा.दा.	रकम
1	सुखाराम पुत्र मेघाराम जाति जाट सा जैरूपाणियों का खातेदार।	जैरूपाणियों का तला	611	0.4932	बा.दा.	
2	उमाराम पुत्र मेघाराम जाति जाट सा जैरूपाणियों का खातेदार। मरुधरा यामीण बैंक शाखा होड़	जैरूपाणियों का तला	604	4.8138	बा.दा.	
		योग	2	0.0485	बा.दा.	
		जोगासर	610	4.2715	बा.दा.	
		योग	2	4.3200	बा.दा.	
		जोगासर	604	0.4932	बा.दा.	

तहसीलदार, सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण नामांतरकरण के बाद जांच तस्वीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तस्वीक करें। विभाजन नक्शा इस राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्व मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

## मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री प्रमोद कुमार आर.एस.

उनवान

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1 सुखाराम पुत्र मेघाराम के वारीसान  
1/1 चौलाराम पुत्र सुखाराम  
1/2 बाबूराम पुत्र सुखाराम  
1/3 आईदानराम पुत्र सुखाराम  
1/4 झीमो पुत्री सुखाराम  
जाति जाट निवासी जैरूपाणियों का तला जोगासर तहसील सिणधरी

- 1 उमा पुत्र मेघाजाट निवासी जैरूपाणियों का तला होडू तहसील सिणधरी
- 2 शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी


दावा बाबत:— 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :-33/2010

निर्णय दिनांक :- 20.12.2023

वादीगण की ओर से श्री रामजीवन विशनोई अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 20.12.2023 को श्री प्रमोद कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 20.12.2023 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

प्रतिवादीगण